(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 103 नई दिल्ली, 11 मई 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास में विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड की प्रशुल्क वैधता की अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/7/2008-वीसीटीपीएल

विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड ------ आवेदक

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

यह मामला विशाखापट्टनम पत्तन न्यास में विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रईवेट लिमिटेड की प्रचालन हेतु प्रचलित दरमान की वैधता के अवधि से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 जुलाई, 2009 के आदेश संख्या टीएएमपी/7/2008-वीसीटीपीएल के माध्यम से वीसीटीपीएल के प्रचलित दरमान को 31 मार्च, 2011 की वैधतावाली अवधि तक अनुमोदित किया था।

3. वीसीटीपीएल ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी ,2011 के माध्यम से दरमान की संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। इसे संबंधित उपयोगकर्ताओं के परामर्श के लिए रखा गया है। वीसीटीपीएल ने दिनांक 1 अप्रैल 2011 के अपने पत्र के माध्यम से संशोधित प्रशुल्क अधिसूचित होने तक, प्रचलित दरमान को पुनः मान्य करने के लिए अनुरोध किया था।

4. चूँकि वीसीटीपीएल और वीपीटी से माँगी गई आवश्यक अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण प्राप्ति के उपरांत, अंतिम विचार विमर्श के लिए यह मामला अभी कुछ और समय लेगा, प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितंबर, 2011 तक अथवा संशोधित प्रशुल्क की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इसमें से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाया जाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल,2010 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष